न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य,
आर.ए.एस

अपील संख्या 112/2025

1. सांवरमल पुत्र श्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तह. मलसीसर।
2. ताराचन्द पुत्र श्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तह. मलसीसर ।
3. दरिया सिंह पुत्र श्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तह. मलसीसर।
4. कमला पुत्री श्री मोहन ज जाट निवासी झटावा कलां तह. मलसीसर।
5. सिलोचना पुत्री श्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तह. मलसीसर।
6. परमेश्वरी पत्नि श्री गोविन्दा जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तह. मलसीसर।
7. रोहिताश पुत्र श्री गोविन्दा जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तह. मलसीसर।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. श्री दयानन्द सिंह पुत्र श्री पुरणराम जाति जाट निवासी झटावा कलां।
2. श्री अमर चन्द पुत्र श्री पुरणराम जाति जाट निवासी झटावा कलां।
3. श्री बलाराम पुत्र श्री लादूराम जाति जाट निवासी झटावा कलां।
4. श्री बीरबल राम पुत्र श्री लिछमण राम जाति जाट निवासी झटावा खुर्द।
5. श्री सुरेश पुत्र श्री नागरमल जाति जाट निवासी झटावा खुर्द।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांकित 30.07.2025 मुकदमा उनवानी ग्रामवासी झटावा कलां आदि बनाम सांवरमल वगेरह अ.धा 251 राज. काश्त अधि.

1. श्री जहीर मोहम्मद फारूकी, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट 1 लगायात 5 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 31.12.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रैस्पोन्डेन्स द्वारा दिनांक 16.06.2025 को एक आवेदनपत्र न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि झटावा कलां से बास हरिपुरा जाने वाला आम रास्ता सांवरमल पुत्र मोहनलाल निवासी झटावा कलां व रोहिताश पुत्र गोविन्द राम निवासी झटावा खुर्द ने मेड व तारबन्दी कर बन्द कर दिया है। जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है तथा खरीफ की फसल बोने का समय है, रास्ता अवरुद्ध होने के कारण ट्रेक्टर का जाना भी समभव नही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन हे कि अवरुद्ध रास्ता खुलवाने की कृपा करे ताकि फसल समय पर बोई जा सके। उपरोक्त प्रार्थनापत्र को श्रीमान तहसीलदार जी मलसीसर ने जांच एंव झटावा खुर्च को अग्रेषित

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में भू.अ.नि. मलसीसर एंव पटवारी हल्का झटावा खुर्द की रिपोर्ट दिनांकित 23.06.2025 के आधार पर प्रार्थनापत्र को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 में दर्ज रजिस्टर किया गया अपीलान्टस ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया उन्होंने ग्राम झटावा कला से बास हरिपुरा को जाने वाले रास्ते को बन्द नहीं किया है एंव ख.नं. 79 एंव ख.नं. 373/78 में से होकर कोई प्रचलित रास्ता स्थित नहीं है ना ही कभी कोई रास्ता रहा। प्रकरण को पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा अभियान के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नियत किया गया। बाद सुनवाई के अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी द्वारा रैस्पोन्डेन्ट्स का आवेदन पत्र स्वीकार किया। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया ग्राम झटावा खुर्द के ख.नं. 79. 410/80 एवं 373/78 में से गुजरने वाले प्रचलित रास्ते को खोले जाने का आदेश दिया जाता है। सुविधा के लिए ख.नं. 79 का खातेदार उक्त प्रचलित रास्ते को अपने खसरा नम्बर की सीमा के सहारे – सहारे चालू रख सकता है किन्तु उक्त प्रचलित रास्ता ख.नं 79, 410/80, 373/78 में चालू रख जावे, सम्बन्धित खातेदारों द्वारा उक्त रास्ते में कोई व्यवधान नही किया एवमं उक्त प्रचलित रास्ते को खुलवाये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मलसीसर पटवारी झटावा हल्का खुर्द को आदेशित किया गया था।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय जैर बहस दिनांकित 30.07.2025 विरुद्ध विधि व विरुद्ध पत्रावली है। योग्य अदालत मातहत द्वारा ख.नं 79, 410/80, 373/78 की कृषि भूमि मे से प्रचलित रास्ता होना मानकर उसे खोले जाने का निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की गई है। योग्य अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर ज्यूडिशियल माइन्ड एप्लाई नहीं करते हुए निर्णय जेर बहस पारित करने में गलती कानूनी की हैं। अपीलान्ट्स अपनी अपील के साथ नकल नक्शा आशिक ग्राम झटावा खुर्द की सदर मुन्सरिम भू–प्रबन्ध कार्यालय सीकर एंव प्रभारी मानचित्र शाखा भू–प्रबन्ध कार्यालय सीकर द्वारा जारी सन 2002 की फोटो प्रति अवलोनार्थ प्रस्तुत कर रहा है जिसमें भी ख.नं 78, 79 एंव 80 की कृषि भूमि मे से होकर कोई रास्ता नहीं दर्शाया गया हे इसके अलावा पटवारी हल्का झटावा खुर्द द्वारा दिनांक 30.04.2025 को जारी नक्शे की फोटो प्रति भी अवलोकनार्थ अपीलन्ट्स द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिसमे भी ख.नं. 79, 373/78 एंव 410/80 में से होकर कोई रास्ता नही दर्शाया गया हे इससे भी जाहिर है कि ख.नं. 79, 373/78 एंव 410/80 में से होकर कोई रास्ता स्थित नहीं है एंव उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि मे से होकर कभी भी रास्ता नहीं रहा। खसरा नम्बर ख.नं. 79. ख.नं. 373/78 के खातेदारों ने अपनी अपनी कृषि भूमि की जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के उद्देश्य से अपने खेतों के चारों ओर तारबन्दी कर रखी है उक्त खसरा नम्बरान की

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

भूमि में से होकर कोई रास्ता नही हे ना ही कभी रहा। रैस्पोन्डेन्ट्स द्वारा जो प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया गया हे वह प्रार्थनापत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 के प्रावधानों की परिधि में ही नही आता हे क्योकि धारा 251 राज. काश्त. अधि. के प्रावधान केवल काश्त की भूमि का रास्ता अवरुद्ध किये जाने पर ही लागू होते है। वर्तमान प्रकरण मे रैस्पॉन्डेन्टस द्वारा जो प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया गया हे उस प्रार्थनापत्र में ग्राम झटावा कलां से बास हरिपुरा जाने वाले रास्ते को बन्द करने का तथ्य अकिंत किया गया हे। रैस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह कहीं भी अकित नही किया गया है कि उनकी कृषि भूमि मे आवागन हेतु रास्ते को किसी भी व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया हो। एक गांव से दूसरे गांव जाने वाला रास्ता धारा 251 राज. काश्त कारी. अधिनियम के प्रावधानों की परिधि मे नही आता है। इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नहीं करते हुए निर्णय जेर बहस पारित करने में योग्य अदालत मातहत ने गलती कानूनी की हे इस कारण योग्य अदालत मातहत का निर्णय जेर बहस दिनांकित 30.07.2025 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अपने शिकायत पत्र में यह कही भी अकिंत नही किया गया हे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनकी किस खसरा नम्बर की कृषि भूमि का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया हो क्योकि सभी शिकायतकर्ताओ की कृषि भूमि में आवागमन हैतु निम्न प्रकार कटाणी कदीमी रास्ते उपलब्ध है जिनसे होकर वह अपनी अपनी कृषि भूमि में निरन्तर आवागमन कर रहे हैं। बीरबलराम की कृषि भूमि का ख.नं. 372/78 हे जिसमे राजस्व रिकार्ड मे कटाणी रास्ता ख.नं. 76 में से होकर निरन्तर आवागमन चालू है। सुरेश की कृषि भूमि का ख.नं. 78 हे जिसमे भी राजस्व रिकार्ड मे कटाणी रास्ता ख.नं. 76 में से होकर निरन्तर आवागमन चालू है। दयानन्द एव अमरचन्द पुत्रगण पुरणराम दोनो सगे भाई है जिनकी कृषि भूमि ख.नं. 412/80 एंव 410/80 में राजस्व रिकार्ड में कटाणी कदीमी रास्ता खनं. 81 मे से होकर आवागमन चालू है। बलाराम की खातेदारी की कोई कृषि भूमि अपीलान्ट्स की कृषि भूमि के आस पास स्थित ही नहीं है। उक्त तथ्य से ही रैस्पोन्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत स्वत ही झूठी साबित हो जाती है। उक्त तथ्य पर कोई गोर नही करने में एंव निर्णय जेर बहस उक्त तथ्य से ही रैस्पोन्डेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत स्वतः ही झूठी पारित करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की हैं. इस कारण अदालत मातहत का निर्णय दिनांतिक 30.07.2025 निरस्त होने योग्य है।

तहसीलदार मलसीसर के आदेशानुसार भू अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवरी हल्का झटावा खुर्द का मौके पर जाना एवं उनके प्रस्तुत करने तथा उक्त रिपोर्ट को आधार मान कर योग्य अदालत मातहत द्वारा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 को योग्य अदालत मातहत के समक्ष निर्णय जेर बहस पारित किए जाने का अकंन योग्य अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय जैर बहस दिनांकित 30.07.2025 में किया गया है जबकि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवरी हल्का झटावा खुर्द द्वारा मौके पर जाने की कोई सूचना अपीलान्टस को नही दी गई एंव अपीलान्ट्स के समक्ष मौके का निरीक्षण नही किया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवारी हल्का झटाया खुर्द की जांच रिपोर्ट दिनांकित 23.06.2025 पर अपीलान्टस के हस्ताक्षर भी नहीं

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्टस से मिली भगत करके अपीलान्दस को गैरकानूनी तरीके से नुकसान पहचाने के इरादे से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवारी हल्का झटावा खुर्द ने अपनी मनमर्जी से ख.नं 79, 410/80, 373/78 में से प्रचलित रास्ता होना बताकर गलत रिपोर्ट अदालत मातहत मे प्रस्तुत की है जबकि ख.नं 79. 410/80, 373/78 मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नही है ना कभी तथाकथित रास्ता प्रचलन में रहा। ख.नं 79, 410/80, 373/78 में से होकर कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं है। प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट कतई विश्वसनीय नहीं हे भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवारी हल्का झटावा खुर्द द्वारा अपनी रिपार्ट में दर्शाया गया रास्ता मौके पर स्थित होने की बाबत उक्त रिपार्ट केवल कपोल कल्पित, बनावटी एंव मनघडन्त है फिर भी उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करके एंव उसे आधार बना कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जेर बहस विधि विरुद्ध होने से भी निरस्तनीय है। रैस्पॉन्डेन्टस द्वारा जो प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत किया गया हे उस प्रार्थनपत्र में ग्राम झटावा कलां से बास हरिपुरा जाने वाले रास्ते को बन्द करने का तथ्य अकिंत किया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड एंव भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवारी हल्का झटावा खुर्द की मौका रिपोर्ट दिनांकित 23.06.2025 से यह साबित होता हे कि ग्राम झटावा कला से बास हरिपुरा का रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता हे जो मौक पर आवागमन हैतु पूर्णतः चालू हे उसमे किसी प्रकार का कोई अवरोध नही किया गया है। राजस्व रिकार्ड एंव भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मलसीसर व पटवारी हल्का झटावा खुर्द की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी साबित हे कि झटावा कलां, झटावा खुर्द एंव बास हरिपुरा के गावों की आबादी के मध्य आवागमन हेतु झटावा कला के कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 76 (चारागाह भूमि) तथा झटावा खुर्द के कटाणी रास्ते ख.नं. 81 से सार्वजनिक रास्ता आवागमन हेतु सुचारु रुप से चालू है जिनसे वर्तमान में स्कूली बसे, ट्रेक्टर्स, ऊट गाडे एंव हर प्रकार का वाहन आसानी से आवागमन कर रहे है। इसके अलावा ख.नं. 75 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित रास्ता व ख.नं. 411/80 व 412/80 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम रास्ता भी इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं करने मे एंव निर्णय जेर बहस पारित करने मे अदालत मातहत ने गलती कानूनी की हे इस कारण योग्य अदालत मातहत का निर्णय जेर बहस दिनांकित 30.07.2025 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 03.07.2025 को तहसीलदार मलसीसर को लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत किया था उक्त जवाब में अपीलान्टस द्वारा दर्ज आपत्तियो पर कोई गोर नही करते हुए निर्णय जैर बहस पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है इस कारण योग्य अदालत मातहत का निर्णय जेर बहस दिनांकित 30.07.2025 निरस्त होने योग्य है। रैस्पोन्डेन्टस, अपीलान्टस से की कृषि भूमि ख.नं 79 373/78 410/80, मे से होकर कोई रास्ता स्थित नही हे ना कभी रहा किन्तु रेस्पोन्डेन्टस, अपीलपान्ट्स से रंजिश रखते है अपीलान्टस की कृषि भूमि ख.नं 79, 373/78 410/80, मे से होकर गलत व गैर कानूनी तरीके से नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसकी इजाजत दिया जाना कतई न्यायोचित नही होगा यदि रैस्पोन्डेन्ट अपने इस षडयन्त्र में कामयाब हो जाऐगे एंव ख.नं. 79 एवं 373/78 में से नया रास्ता कायम हो जाएगा तो उस स्थिति

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

Scanned with CamScanner

में अपीलान्टस के खेत बर्बाद हो जाऐगे एंव अपीलान्ट्स को अपूर्णिय क्षति होगी। फसल का समय है। ख.नं 79, 373/78 की कृषि भूमि में फसल खडी हैं। योग्य अदालत मातहत के निर्णय की कियान्विती से अपीलान्ट्स की फसले नष्ट हो जाऐगी जिससे अपीलान्टस की सख्त हकतल्फी होगी एंव उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2025 को अपास्त किया जावे।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया कि अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा स्वयं सींव के साथ रास्ता देने की बात कही व सहमति दी है। न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का आदेश सही पारित हुआ है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगैर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा की अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसके पक्षकारों को सनुवाई तथा साक्ष्य सबुत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद किया जाना न्यायोचित है। ऐसे में हम अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2025 मुकदमा संख्या 04/2025 उनवानी ग्रामवासी झटावां कलां आदि बनाम सांवरमल वगैरह अन्तर्गत धारा 251 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड (प्रति प्रेषित) किया जाता है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक माह में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय आदेशप्रति सहित लोटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूंक

Scanned with CamScanner